राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

विशेष बैठक, दिनांक 25 अगस्त, 2022

कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की विषेष बैठक, दिनांक 25 अगस्त, 2022 को माननीय मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में होटल पैसिफिक, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड, विषिष्ट अतिथि थे। बैठक में श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, श्री लालरिन लियना फैनई, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, श्री षैलेष बगौली, सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, श्री दिलीप जावलकर, सचिव, वित्त, श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोतम, सचिव, पशुपालन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सचिव, एम.एस.एम.ई., श्री सी. रविषंकर, अपर सचिव, वित्त एवं पर्यटन, श्री रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, श्रीमती रंजना राजगुरु, अपर सचिव, ऊर्जा एवं उरेडा, श्री आनन्द स्वरुप, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, श्री आनन्द श्रीवास्तव, अपर सचिव, राजस्व, श्री चन्द्र सिंह, अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड षासन, श्री अरुण भगोलीवाल, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून, श्री भाष्कर पंत, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून, श्री कल्पेष कृष्णकान्त अवासिया, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली, श्री अभय सिंह, संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड एवं महाप्रबन्धक (नेटवर्क–2), भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रोज एसोसियेषन ऑफ उत्तराखंड, रेखीय विभागों एवं राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा माननीय मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड एवं महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत चर्चा की गयी :

(1) सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति :

वित्तीय वष 2021–22 के द्वितीय त्रैमास में बैंकों द्वारा सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं अंतर्गत दर्ज की गयी प्रगति की समीक्षा की गयी।

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत करया गया :
  - वित्तीय वष 2021–22 में सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं अंतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति से अवगत कराया गया ।
  - समस्त बैंकों से आग्रह किया कि राज्य में रोजगार बढ़ाने तथा पलायन रोकने हेतु सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं अंतर्गत वित्तीय वष 2022–23 हेतु उन्हे आवंटित लक्ष्यों का 75 प्रतिषत लक्ष्य माह दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त करें एवं स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों में अतिषीघ्र ऋण वितरित करें।
  - पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की कुल लागत रु. 25.00 लाख को बढ़ाकर रु. 50.00 लाख तथा सेवा क्षेत्र में परियोजना की कुल लागत रु. 10.00 लाख को बढ़ाकर रु. 20.00 लाख कर दी गयी है।
  - इसी अनुक्रम में समस्त बैंकों से आग्रह है कि वे बड़ी औद्योगिक इकाईयों एवं व्यवसायियों को ऋण प्रदान करें, जिससे राज्य के ऋण–जमा अनुपात में बृद्वि हो।
  - पी.एम. स्वनिधी योजना में 2nd Tranche हेतु "Rejection" का आष्षन हटा दिया गया है, अतः अब ऋण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में निरस्त नही किये जा सकते हैं। बैंक अपने

कार्पोरेट कार्यालय से योजना अंतर्गत न्यूनतम सिबिल स्कोर की बाध्यता को समाप्त करने हेतु आवेदन करें।

- सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड षासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - बैंकों से आग्रह है कि वे बैंक स्तर पर review committee का गठन करें, जिसमें निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों के कारणों की जांच की जाय।
  - बैंकों द्वारा आवेदकों को ऋण आवेदन पत्रों के निरस्त करने के कारणों से अवगत कराया जाय।
  - अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा "किसान क्रेडिट कार्ड – पशुपालन एवं मत्स्य पालन" हेतु प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को लेने से मना किया जाता है।
- सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड षासन द्वारा बैंकों से आग्रह किया गया कि वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना अंतर्गत बैंक षाखाओं को प्रेषित ऐसे ऋण आवेदन, जिनमें सेक्षन 143 अंतर्गत अकृषि प्रमाण पत्र एवं मानचित्र की बाध्यता नही है, ऐसे ऋण आवेदन पत्रों का बैंक अतिषीघ्र निस्तारण करें।
- अपर सचिव, वित्त एवं पर्यटन, उत्तराखण्ड षासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - पर्यटन विभाग द्वारा बैंक षाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों में से कुछ ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं में 04 माह से लम्बित हैं।
  - बैंक ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग से समन्वय कर विचार विमर्ष करें तथा ऋण आवेदन पत्रों में छोटी–छोटी त्रुटियों को आवेदक से सम्पर्क कर षाखा/विभाग स्तर पर दूर करने का प्रयास किया जाय।
- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड षासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि ब्लाक स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिला स्तरीय उच्च अधिकारी द्वारा प्रतिभागिता की जाय।
- महाप्रबन्धक, पंजाब नेषनल बैंक द्वारा षासन से आग्रह किया गया कि वे जिला प्रषासन को वसूली प्रमाण पत्रों में ऋण राषि की वसूली हेतु आवष्यक निर्देष जारी करें।
- महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण आवेदन पत्रों का निरस्तीकरण बैंक के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा पूर्ण जांच के उपरांत किया जाता है।
  - ऋण आवदन पत्र प्राप्त होते ही बैंक सर्वप्रथम CIBIL जांच लें, सही पाये जाने पर ही बैंक ऋण आवेदन पत्र बैंक में रखें अन्यथा अतिषीघ्र सम्बन्धित विभाग को लौटा दें।
  - वित्तीय वष 2022–23 में पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत निर्धारित इकाईयों के लक्ष्य को बढाया जाना चाहिए।
- मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि ऋण आवेदन पत्रों का निरस्तीकरण बैंक स्तर पर गठित review committee द्वारा ही किया जायेगा।

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि नाबार्ड द्वारा प्रषिक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं :
  - क्रेडिट लिंक्ड स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के स्किल डेवलपमेंट के लिए सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।
  - ज्वांइन्ट लाईबलिटी ग्रुप एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रषिक्षित करने हेतु आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
  - ग्रामीण नवयुवकों में स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमषीलता को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण नवयुवकों को प्रषिक्षित किया जाता है।
  - ग्रामीण हाट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में SHGs/JLGs/FPOs/OFPOs/Rural Artisans को मार्केटिंग सपोर्ट के लिए नाबार्ड स्थायी मार्केटिंग निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है।

- अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया तथा निर्देषित किया गया :
  - उद्योग एवं के.वी.आई.सी. विभाग एम.एस.वाई एवं पी.एम.ई.जी.पी. के लाभार्थियों हेतु ईडीपी प्रषिक्षण की समुचित व्यवस्था करें।
  - सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं अंतर्गत निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों की जांच हेतु समस्त बैंकों द्वारा review committee का गठन किया जाय।
  - ब्लाक स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिला स्तरीय उच्च अधिकारी द्वारा प्रतिभागिता की जाय।
  - राज्य का ऋण–जमा अनुपात कम है, जो कि एक चिन्ता का विषय है। राज्य के आर्थिक विकास हेतु ऋण क्षेत्र में प्रतिवष 20 प्रतिषत की ग्रोथ आवष्यक है। इस विषयक सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रत्येक जिले का ऋण–जमा अनुपात बढाने हेतु जिले में सम्भावना के अनुसार कार्ययोजना तैयार करनी होगी, जिससे राज्य में बड़ी औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो सके। साथ ही उन्हे मूलभूत सुविधायें यथा : इन्डस्ट्रियल पार्क, सड़क, विद्युत, इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करानी होगी। राज्य में स्थापित बड़ी–बड़ी औद्योगिक इकाईयों को ऋण प्रदान कर ही राज्य क ऋण–जमा अनुपात में बृद्वि सम्भव है।

(कार्यवाही : उद्योग विभाग/के.वी.आई.सी. विभाग/कृषि विभाग/पर्यटन विभाग/यू.एस.आर.एल.एम./शहरी विकास विभाग/जिला पशासन/ समस्त बैंक/अग्रणी जिला प्रबन्धक)

- माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत एवं निर्देषित किया गया :
  - सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं अंतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति कम है, जिसे बढ़ाये जाने की आवष्यकता है।

- बैंकों द्वारा ग्राहकों की जानकारी हेतु बैंक षाखाओं में बोर्ड लगाये जांय, जिसमें ऋण योजनाओं विषयक जानकारी एवं ऋण हेतु आवष्यक दस्तावेजों का वर्णन हो।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

- माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया एवं निर्देषित किया गया :
  - सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं अंतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति कम है, जिसे बढ़ाये जाने की आवष्यकता है।
  - अनुचित कारणों से ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त नही किया जाना चाहिए। निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों पर निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण अकित होना चाहिए तथा आवेदक को इस विषयक अवगत कराया जाना चाहिए।
  - राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए बैंकों का अपेक्षित सहयोग आवष्यक है। अतः इसके लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं अंतर्गत ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए।
  - सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी जन–जन तक पहुंचाने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा जागरुकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
  - विभिन्न ऋण योजनाओं अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों से बढ़कर बैंकों को कार्य करना होगा, इसके लिए विभागों एवं बकों को आपसी समन्वय कर कार्य करना होगा, ताकि आम जन सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
  - राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाये जाने की आवष्यकता है।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/अग्रणी जिला प्रबन्धक/दूरसंचार विभाग/सम्बन्धित विभाग)

(2) राज्य सरकार स्तर पर लम्बित प्रकरण :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - रु. 5,00,000.00 (रु. पांच लाख मात्र) तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प षुल्क में छूट की अवधि 31.03.2022 को समाप्त हो गयी है। अतः षासन से उक्त विषयक सूचना अपेक्षित है।
  - स्वामित्व योजना विषयक सूचना षासन से अपेक्षित है।
  - केदारनाथ धाम में भारतीय स्टेट बैंक को ए.टी.एम. के लिए उपलब्ध करायी गयी भूमि के साथ षाखा खोलने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही : वित्त विभाग/राजस्व विभाग/जिला प्रशासन)

(3) बैंक स्तर पर लम्बित प्रकरण :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि चार धाम यात्रा मार्ग पर पंजाब नेषनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक आई. डी.बी.आई. बैंक, एक्सिस बैंक, आई.सी.आई.सी.आई., एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा षाखा खोलना प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त बैंक इस विषयक चयनित स्थान की सूचना एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही : सम्बन्धित बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड